बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :– 3/अ0प्र0–1–264/2013 1210 /पटना, दिनांक :– 2·9·21

प्रश्नगत अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2020 श्री रामजी प्रसाद, सेवा से बर्खास्त कनीय अभियंता द्वारा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के आदेश ज्ञापांक 1057 दिनांक 09.06.202 के विरूद्ध दायर किया गया है।

2. श्री रामजी प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 28/13 दिनांक 12.06.2013 के आलोक में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के रूप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के तहत कार्यालय आदेश संख्या–14–सह–पठित ज्ञापांक 889 दिनांक 24.03.2015 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने की शास्ति अधिरोपित की गयी। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दायर की गई, जिसपर सुनवाई के पश्चात समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के पुनर्विचार अर्जी को आदेश ज्ञापांक 2454 दिनांक 25.06.15 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

3. श्री प्रसाद ने सेवा से बर्खास्तगी आदेश एवं अस्वीकृत अपील अभ्यावेदन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 5655/2015 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.02.2019 को पारित न्यायादेश द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश दिनांक 25.06.15 को निरस्त करते हुए वादी श्री रामजी प्रसाद को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अंतिम आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। उक्त न्यायादेश के आलोक में अपीलीय प्राधिकार–सह–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभिन्न तिथियों को सुनवाई के पश्चात दिनांक 16.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया –

".....दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के साथ–साथ श्री प्रसाद के द्वारा उपस्थापित अभिकथनों एवं साक्ष्यों का अनुशीलन करने से यह स्पष्ट है कि कि संचालन पदाधिकारी ने दो मुख्य आधारों पर श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित माना है। अपीलकर्ता के विरूद्ध ग्राम–माधोपुर (क्रमशः तीन कट्ठा दो धूर मकान सहित एवं 4.5 कट्ठा जमीन) की दो परिसम्पत्तियों को पारिवारिक सम्पत्ति से प्राप्त न मानकर आवेदक के द्वारा अर्जित माना गया है। द्वितीयतः श्री प्रसाद की पत्नी की आयकर रिर्टन को अनदेखी करते हुए उनके द्वारा अर्जित सम्पतियों का मूल्याकंन बाजार दर पर किया गया है तथा निबंधित क्रय दस्तावेजों की अनदेखी की गयी है। प्रथम बिन्दु के संबंध में अपीलकर्ता का पक्ष है कि पारिवारिक सम्पत्ति के विभाजन के संबंध में न केवल आपसी बंटवारे का साक्ष्य है बल्कि सिविल कोर्ट द्वारा स्वत्व वाद संख्या 92/2003 में पारित डिक्री भी है। श्रीमती बुन्नी देवी की आयकर रिटर्न को अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसका साक्ष्य आवेदक द्वारा उपस्थापित किया गया है। उसी तरह इस तथ्य का परीक्षण आवश्यक है कि किस आधार पर क्रय दस्तावेजों में अंकित मूल्यों की अनदेखी करते हुए क्रय की गयी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के द्वारा इस मामले में दाखिल किए गए साक्ष्यों यथा, पारिवारिक सम्पत्ति के विभाजन से संबंधित दस्तावेज एवं स्वत्व डिक्री, पत्नी

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

के द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न तथा पत्नी द्वारा क्रय की गयी परिसम्पत्तियों के क्रय दस्तावेजों पर अंकित मूल्यों का पुनः परीक्षण कर आरोपों की सत्यता की जॉच नये सिरे से करने की वैधानिक आवश्यकता है। तदनुसार अभियंता प्रमुख के आदेश ज्ञापांक 889 दिनांक 21.03.15 को Set aside करते हुए अभियंता प्रमुख को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का पुनः समीक्षा कर अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से अधिकतम तीन माह के भीतर यथोचित आदेश पारित करें।"

4. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.05.2019 के अनुपालन में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभिन्न तिथियों को सुनवाई के पश्चात अपने आदेश ज्ञापांक 1057 दिनांक 09.06.2020 द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया –

" .....श्री रामजी प्रसाद के बचाव–बयान एवं इनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा इनके विरूद्ध लगाये गए आरोपों का खंडन नहीं होता है तथा यह प्रमाणित होता है कि इनके द्वारा प्रत्यानुपातिक धन (Disproportionate Assets) का अर्जन किया गया है।

अतः निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री रामजी प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित होता है। अतएव इस मामले में पूर्व में निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–14 दिनांक 24.03.15 के द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।"

5. अभियंता प्रमुख का उपर्युक्त आदेश दिनांक 09.06.2020 के विरूद्ध श्री रामजी प्रसाद द्वारा सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के समक्ष अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2020 समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं साक्ष्यों की अनदेखी कर अभियंता प्रमुख द्वारा आदेश पारित किया गया है। अभियंता प्रमुख के आदेश दिनांक 09.06.2020 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि मामले की विस्तृत रूप से समीक्षा कर तार्किक आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव बयान एवं साक्ष्यों को ही प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसपर पूर्व में विचार न किया गया हो। अतएव मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री रामजी प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2020 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामजी प्रसाद, सेवा से बर्खास्त कनीय अभियंता द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.i

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–264/2013 1210 /पटना, दिनांक :– 2·9·21

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री रामजी प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, स्थायी पता–मोहल्ला–नया टोला, माधोपुर, बख्तियारपुर, पो0–बख्तियारपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–264/2013 1210 /पटना, दिनांक :– 2·9·21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/9/21

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in